

# न्यायालय अति० जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु०नं० 61/2018

तारीख रजू:- 20.12.2018

1 खिलाडी पुत्र मूला जाति माली निवासी खिरखिडा उप तहसील कुडगाँव जिला करौली

:- अपीलान्त

## बनाम

1 नायब तहसीलदार उप तहसील कुलगाँव जिला करौली

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 12.10.2018 न्यायालय नायब तहसीलदार उप तहसील कुडगाँव

## निर्णय

दिनांक १५.03.2019

वाकेयात इस प्रकार है कि वकील अपीलान्त ने एक अपील नायब तहसीलदार कुडगाँव के निर्णय दिनांक 12.10.2018 से अप्रसन्न होकर पेश कर अवगत कराया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानते हुये निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट गलत व विधि विरुद्ध तैयार की गई है। मौके पर खसरा नम्बर 698 रकवा 1 विस्वा गैरमुमकिन रास्ता पर कोई अतिक्रमण नहीं है। ना ही पूर्व में किया गया है। सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। ना ही कोई नोटिस जारी किया गया है। एक ही दिवस में सभी कार्यवाही की गई है। पश्चात अतिचार के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं। ये सभी कार्यवाही विधि विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अन्त में अपील अपीलान्त स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

अपील अपीलान्त दर्ज पंजिका कर रेपोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलव करते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई।


वकील अपीलान्त की बहस सुनी गई दोराने बहस अपने कथन में अपील मीमो को दोहराते हुये भूमि पर कब्जा नहीं होना जाहिर करते हुये और अण्डर टेकिंग पेश की गई। जिसमें भूमि से कब्जा हटा लिया गया है। किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। और भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत भी निवेदन किया गया है। अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जावे।

हमने वकील अपीलान्त बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि पटवारी हल्का खिरखिडा ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की

उद्देश्य सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि पर किये गये अतिचार को हटाने का है। यदि हस्तगत प्रकरण मे अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत आराजीयात से अतिचार हटा लिया है। और भविष्य मे कभी भी अतिचार नही करने का अभिकथन किया है तो हमारी सुविचारित राय मे सिविल जैसे कठोर कारावास की सजा को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। फिर भी विवादित आराजी आम जन के रास्ता के उपयोग उपभोग की है। जिस पर से अतिक्रमण हटना भी आवश्यक हैं हम प्रार्थी अपीलान्ट के कथनो से सहमत है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। नायब तहसीलदार कुडगाँव तहसील सपोटरा जिला करौली का निर्णय दिनांक 12.10.2018 के तहत अपीलान्ट रामखिलाडी पुत्र मूला जाति मीना निवासी खिरखिडा को दी गई 3 माह की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त के साथ माफ किया जाता है अपीलान्ट प्रश्नगत आराजी से अपना अतिचार हटा लेता है ओर भविष्य मे किसी प्रकार का अतिचार नही करेगा। इस बात से नायब तहसीलदार सन्तुष्ट हो जाते है तो सिविल कारावाश की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। वेदखली एवं शास्ती से सम्बंधित आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक .3.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
अति० जिला कलक्टर  
करौली